

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

को.आ. 131(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1209(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डोन बोसको सेल्फ एम्पलाइमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 120, मीरा पारा रोड, डाकघर भट्टानागर, हावड़ा 711203 द्वारा पश्चिम बंगाल में शिक्षा छोड़ने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए उद्यमीवृत्ति के साथ दक्षता प्रशिक्षण की स्कीम या परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित केवल पांच करोड़ पचासी लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं० 3 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोन बोसको सेल्फ एम्पलाइमेंट रिसर्व इंस्टीट्यूट, 120, मीरा पारा रोड, डाकघर मट्टानागर, हावड़ा 711203 द्वारा चलाई जा रही पश्चिम बंगाल में शिक्षा छोड़ने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए उद्यमीवृत्ति के साथ दक्षता प्रशिक्षण की स्कीम या परियोजना को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 30/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)